

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर सोमसीसर

अनुवान अमर सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 218/2025

निर्णय दिनांक 30/6/25

अमर सिंह पुत्र नोरंग लाल जाति जाट निवासी सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


--:निर्णय:--

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर सोमसीसर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 110 खसरा नं. 106 तादादी 2.7060 हैक्ट., खसरा नं. 769/111 तादादी 5.1212 हैक्ट. व खाता संख्या 111 खसरा नं. 1030/40 तादादी 2.6555 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम सोमसीसर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम अमर सिंह पुत्र नोरंगराम उर्फ नोरंग लाल, दर्ज है जो कि गलत है सही नाम अमर सिंह पुत्र नोरंग लाल है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी के पिता का नाम नोरंग लाल किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 110 खसरा नं. 106 तादादी 2.7060 हैक्ट., खसरा नं. 769/111 तादादी 5.1212 हैक्ट. व खाता संख्या 111 खसरा नं. 1030/40 तादादी 2.6555 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम नोरंगराम उर्फ नोरंग लाल Delete कर इसके स्थान पर नोरंग लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/25 को कैम्प कोर्ट सोमसीसर में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरू)